information and privacy commission new south wales

तथ्य पत्र **दिसम्बर 2018**

NSW में सरकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका अधिकार

NSW में, *सरकारी जानकारी (आम जनता को प्राप्य) अधिनियम 2009* (Government Information (Public Access) Act 2009 {the 'GIPA Act'}) 'GIPA अधिनियम' के अंतर्गत आपको अधिकांश सरकारी जानकारी को प्राप्त करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार है, बशर्ते जानकारी को प्रकट करना सर्वोपरि रूप से सार्वजनिक हित के विरुद्ध न हो।

GIPA अधिनियम क्या है और सरकारी जानकारी से क्या तात्पर्य है?

GIPA अधिनियम इस बारे में नियम स्थापित करता है कि आप सरकारी एजेंसियों से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी जानकारी से तात्पर्य उस किसी भी जानकारी से है जो एनएसडब्ल्यू की किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में दर्ज़ है। सरकारी जानकारी में इस बात के रिकॉर्ड और डेटा शामिल हो सकते हैं कि कोई सरकारी एजेंसी कैसे काम करती है, या उसमें आपकी वह व्यक्तिगत जानकारी शामिल हो सकती है जिसे सरकारी एजेंसी ने अपने पास रखा हुआ है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि धारणा सरकारी जानकारी प्रदान किए जाने के पक्ष में है। हालाँकि, कुछ सरकारी जानकारियों को प्रभावी रूप से GIPA अधिनियम के अंतर्गत जनता को उपलब्ध कराए जाने से बाहर रखा गया है, जैसे कि न्यायालय की न्यायिक कार्यवाहियों के बारे में जानकारी।

यह किस पर लागू होता है?

GIPA अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होता है:

- एनएसडब्ल्यू के सरकारी विभाग
- एनएसडब्ल्यू की स्थानीय परिषदें
- एनएसडब्ल्यू राज्य के स्वामित्व वाले प्राधिकरण (Corporations)
- विश्वविद्यालय
- एनएसडब्ल्यू के मंत्रीगण और उनके स्टाफ़।

GIPA अधिनियम के अंतर्गत कौन सी एजेंसियाँ आती हैं, इस बारे में अधिक जानकारी IPC के तथ्यपत्र *What is an agency?* में दी गई है।

मैं सरकारी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

आप दो बातें कर सकते हैं:

1. आप जो जानकारी पाना चाहते हैं, उस के लिए एजेंसी की वेबसाइट पर देखें कि वह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या नहीं **या**
2. एजेंसी के ग्राहक सेवा स्टाफ़ से संपर्क करें। यदि वे आपको वह जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं तो आप उनसे उनके 'जानकारी का अधिकार' अधिकारी (Right to Information Officer) से आपकी बात कराने के लिए कह सकते हैं।

नोट: आपको उस सरकारी एजेंसी से संपर्क करना चाहिए जिसके लिए आप सोचते हैं कि उसके पास वह जानकारी है जो आपको चाहिए।

एजेंसियाँ जानकारी कैसे प्रदान करती हैं?

1. GIPA अधिनियम' के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों को कुछ जानकारी (जिसे आम जनता को प्राप्य जानकारी' कहा जाता है) जारी करने की आवश्यकता होती है जब तक कि जानकारी को प्रकट करना सर्वोपरि रूप से सार्वजनिक हित के विरुद्ध न हो। आम तौर पर, आम जनता को प्राप्य जानकारी नि:शुल्क और एजेंसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एजेंसियाँ अन्य तरीकों से भी आम जनता को प्राप्य जानकारी' सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा सकती हैं (जैसे कि छापी गई कॉपी के रूप में या एजेंसी के कार्यालय में जाकर देखना)।
2. एजेंसियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध कराएँ, लेकिन जब तक कि जानकारी को प्रकट करना सर्वोपरि रूप से सार्वजनिक हित के विरुद्ध न हो या एजेंसी के लिए वेबसाइट पर जानकारी को प्रकाशित करना अत्यन्त महँगा न हो, तो बहुत सी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। एजेंसी का 'जानकारी का अधिकार' अधिकारी आपको यह बता सकता है कि आप कहाँ और कैसे नि:शुल्क या उचित न्यूनतम क़ीमत पर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं:
3. यदि आप एजेंसी की वेबसाइट पर जानकारी का पता नहीं लगा पाते हैं तो एजेंसी से संपर्क करें और जानकारी माँगें - इसे 'अनौपचारिक रूप से दिया जाना' कहते हैं। एजेंसियाँ अनौपचारिक रूप से जानकारी प्रदान कर सकती हैं पर इस पर उचित शर्तें लागू हो सकती हैं।
4. यदि आपको जानकारी किसी अन्य तरीके से नहीं मिल सकती है, तो आप 'जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन' कर सकते हैं:

मैं किस प्रकार औपचारिक आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

इसे 'जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन' भी कहते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म अकसर एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होते हैं। अन्यथा आप अपना ख़ुद का आवेदन पत्र दे सकते हैं/सकती हैं:

चाहे कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाए, आवेदन केवल तभी मान्य होगा जब उसमें निम्नलिखित आवश्यकताएँ पूरी की गई हों:

- अपना आवेदन लिखित रूप में करें और उसे उस एजेंसी के पास जमा करें जिसके लिए आप सोचते हैं कि उसके पास आपकी जानकारी है।
- यह बताएँ कि यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन GIPA अधिनियम के अंतर्गत किया गया है
- $30 का आवेदन शुल्क का भुगतान साथ में करें
- अपना नाम, डाक का पता या इमेल का पता शामिल करें
- स्पष्ट रूप से यह बताएँ कि आप किस जानकारी के लिए अनुरोध कर रहे/रही हैं, जिससे कि एजेंसी जानकारी की पहचान कर सके।

आपको जानकारी प्राप्त करने के अपने आवेदन में यह भी बताना होगा कि क्या आपने पहले किसी भी समय, किसी दूसरी एजेंसी से काफ़ी हद तक ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आवेदन किया था, और यदि हाँ, तो आपने किस एजेंसी से आवेदन किया था। हालाँकि, यदि यह जानकारी शामिल नहीं की जाती है तो भी आपका आवेदन अमान्य नहीं होगा।

इसके लिए कितना ख़र्च आएगा?

एक औपचारिक आवेदन के लिए सामान्य शुल्क $30 है। जब तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक आवेदन मान्य नहीं होगा।

आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए शुल्क लग सकता है (प्रति घंटे $30 की दर से शुल्क लिया जाता है)। यदि यह जानकारी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, तो इस पर कार्यवाही करने में लगने वाले समय के पहले 20 घंटों के लिए शुल्क माफ़ कर दिया जाना चाहिए।

इस पर कार्यवाही करने के शुल्क के बारे में सूचना आमतौर पर एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, या आप सहायता के लिए एजेंसी के 'जानकारी का अधिकार' अधिकारी से बात कर सकते हैं।

यदि मैं फ़ीस का भुगतान नहीं कर सकता/सकती हूँ तो?

अपना आवेदन जमा करने से पहले एजेंसी से बात करें और यह पूछें कि क्या वह आपकी मदद कर सकती है। एजेंसियों को यह अधिकार होता है कि वे अपने विवेक से निर्णय लेकर GIPA अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई किसी भी फ़ीस या शुल्क को माफ़, कम या वापस कर सकती हैं।

मेरे आवेदन के परिणाम को आने में कितना समय लगेगा?

- एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने के बाद आपके आवेदन पर सामान्यत: 20 दिनों के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा।
- आप और एजेंसी दोनों 20 कार्य दिवसों से अधिक के समय को बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं।
- यदि एजेंसी को किसी अन्य व्यक्ति से बात करने, या अभिलेखागार में रखी जानकारी को खोजने की ज़रूरत होती है, तो इसमें अतिरिक्त 10 कार्य दिवस लग सकते हैं।
- अगर एजेंसी को अभिलेखागार से रिकॉर्ड्स प्राप्त करने और परामर्श लेने, दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसमें अतिरिक्त 15 कार्य दिवस लग सकते हैं
- यदि इससे अधिक समय लगता है और आपने समय बढ़ाने के लिए सहमति नहीं दी है, तो यह समझा जाएगा कि एजेंसी ने आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया है और उनके लिए आपकी आवेदन की फ़ीस वापस करना अनिवार्य है।

यदि मुझे अपनी इच्छित जानकारी नहीं मिलती है, तो क्या होगा?

यदि आप एजेंसी के निर्णय से नाख़ुश हैं, तो आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं:

विकल्प 1: आपको निर्णय का नोटिस दिए जाने के बाद 20 कार्य दिवसों के अन्दर एजेंसी द्वारा एक आंतरिक पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध करना।

या

विकल्प 2A: आपको निर्णय का नोटिस दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों के अन्दर सूचना आयुक्त (Information Commissioner) द्वारा बाह्य पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध करना।

या

विकल्प 2B: आपको निर्णय का नोटिस दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों के अन्दर एनएसडब्ल्यू नागरिक और प्रशासनिक ट्राईब्यूनल (NSW Civil and Administrative Tribunal - NCAT) द्वारा बाह्य पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध करना।

विकल्प 1: आंतरिक पुनर्विचार प्रक्रिया

आपके पास निर्णय दिए जाने के बाद 20 कार्य दिवसों का समय होता है जिसके अंदर आपको उस एजेंसी द्वारा आंतरिक पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध करना होगा, जिस एजेंसी ने निर्णय लिया था।

आंतरिक पुनर्विचार उस एजेंसी द्वारा किया जाता है जिसके पास आपने जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। पुनर्विचार एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जो उस अधिकारी से कम वरिष्ठ न हो जिसने मूल निर्णय लिया था।

यदि एक मंत्री या उनके निजी स्टाफ़, या एजेंसी के किसी प्रमुख अधिकारी ने निर्णय लिया था, तो आप आंतरिक पुनर्विचार के लिए अनुरोध नहीं कर सकते हैं/सकती हैं। लेकिन आप सूचना आयुक्त या NCAT द्वारा बाह्य पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं/सकती हैं। (विकल्प 2A और 2B देखें)।

आप सरकारी एजेंसी से किसी निर्णय पर आंतरिक पुनर्विचार के लिए अनुरोध नहीं कर सकते हैं यदि वह निर्णय आंतरिक पुनर्विचार का ही निर्णय था।
इसके लिए $40 का आवेदन शुल्क है, परंतु यदि निर्णय एक 'समझी हुई मनाही' ('deemed refusal') है, तो आंतरिक पुनर्विचार के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी ने:

- आपके आवेदन पर समय के अंदर कार्यवाही नहीं की थी, या
- यदि सरकारी एजेंसी ने निर्णय पर पुनर्विचार इसलिए किया था क्योंकि सूचना आयुक्त ने एजेंसी से उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

एजेंसी को आपका आवेदन प्राप्त होने के पाँच कार्य दिवसों के अन्दर इसके प्राप्त होने की जानकारी देनी चाहिए, और 15 कार्य दिवसों के अन्दर आंतरिक पुनर्विचार करके उस पर निर्णय ले लेना चाहिए (यदि तीसरी पार्टी का परामर्श आवश्यक है, तो इसे 10 कार्य दिवसों तक बढ़ाया जा सकता है)।

विकल्प 2A: सूचना आयुक्त द्वारा बाह्य पुनर्विचार

यदि आप एजेंसी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप सूचना आयुक्त द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

आपके पास आपको निर्णय दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों का समय होता है, जिसके अंदर आपको सूचना आयुक्त द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध करना होगा। निर्णय पर पुनर्विचार करने के बाद, सूचना आयुक्त निर्णय के बारे में एजेंसी को अपनी सिफ़ारिश दे सकता है/सकती है।
सूचना आयुक्त ऐसे किसी निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है/सकती है, जिस पर NCAT द्वारा पहले ही पुनर्विचार कर लिया गया हो या जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा हो।

विकल्प 2B: एनएसडब्ल्यू नागरिक और प्रशासनिक ट्राईब्यूनल (NCAT) द्वारा बाह्य पुनर्विचार

यदि आप एजेंसी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप NCAT द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं/सकती हैं।

आपके पास आपको निर्णय दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों का समय होता है, जिसके अंदर आपको NCAT के पास निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने के लिए आवेदन करना होगा। परंतु, यदि आपने सूचना आयुक्त द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए आवेदन किया है, तो आपको सूचना आयुक्त के पुनर्विचार के परिणाम की सूचना दिए जाने के बाद से आपके पास NCAT से आवेदन करने के लिए 20 कार्य दिवसों का समय होगा।

विकल्प 2A और 2B के लिए नोट

यदि आप ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके लिए सूचना आयुक्त या NCAT द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध करने से पहले निर्णय पर आंतरिक पुनर्विचार करवाना आवश्यक नहीं है।

यदि आप ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो सूचना आयुक्त या NCAT द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए आवेदन करने से पहले निर्णय पर आंतरिक पुनर्विचार किया जाना चाहिए। लेकिन, यदि आंतरिक पुनर्विचार के लिए माँग नहीं की जा सकती (उदाहरण के लिए, क्योंकि किसी मंत्री, उसके निजी स्टाफ़, या एजेंसी के प्रमुख अधिकारी ने निर्णय लिया था), तो आप सूचना आयुक्त द्वारा पुनर्विचार करने के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं/सकती हैं।

IPC के विषय में

सूचना और गोपनीयता आयोग (Information and Privacy Commission (IPC)) एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है, जो जानकारी की गोपनीयता और उसको प्राप्त करने से संबंधित एनएसडब्ल्यू के कानून को लागू करता है।

यदि आप इस बारे में और अधिक जानना चाहते हैं कि एनएसडब्ल्यू सरकार से जानकारी कैसे माँगी जाए तो हमसे संपर्क करें।

GIP अधिनियम के अंतर्गत IPS आपके अधिकारों पर सामान्य सलाह दे सकता है, लेकिन कानूनी सलाह नहीं दे सकता है।

IPC से संपर्क करना

हमारे कार्य के घंटे (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हैं।

पता: Level 17, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000

पोस्ट: GPO Box 7011, Sydney NSW 2001

नि:शुल्क फ़ोन: 1800 472 679

ईमेल: ipcinfo@ipc.nsw.gov.au

वेबसाइट: www.ipc.nsw.gov.au

मैं किसी सरकारी एजेंसी से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

यह देखें कि जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या नहीं।
एजेंसी की वेबसाइट पर देखें या उनकी ग्राहक सेवा टीम और/या 'जानकारी का अधिकार' अधिकारी (Right to Information Officer) से संपर्क करें।

↓ नहीं

यह पूछें कि क्या एजेंसी अनौपचारिक रूप से आपके लिए सूचना जारी करेगी।
एजेंसी की ग्राहक सेवा टीम और/या 'जानकारी का अधिकार' अधिकारी से संपर्क करें।

↓ नहीं

सरकारी सूचना (आम जनता को प्राप्य) अधिनियम 2009 (GIPA अधिनियम) के अंतर्गत औपचारिक आवेदन पूरा करें।
(नीचे दिए गए क़दम देखें)

औपचारिक आवेदन रूप से आवेदन करना:

एजेंसी की वेबसाइट पर एक विशेष फॉर्म हो सकता है जिसे आप भर सकते हैं।

नहीं →

यदि नहीं:
- अपना आवेदन लिखित में करें और उसे उस एजेंसी के पास जमा करें जिसके लिए आप सोचते हैं कि उसके पास आपकी जानकारी है।
- यह बताएँ कि यह जानकारी प्राप्त करने का आवेदन GIPA अधिनियम के अंतर्गत किया गया है
- $30 का आवेदन शुल्क साथ में शामिल करें (नीचे देखें)
- अपना नाम, डाक का पता या इमेल का पता शामिल करें
- स्पष्ट रूप से यह बताएँ कि आप किस जानकारी के लिए अनुरोध कर रहे/रही हैं, जिससे कि एजेंसी जानकारी की पहचान कर सके।

हाँ ↓

हाँ ↓

$30 का आवेदन शुल्क लगता है।
(यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो यह आवेदन मान्य नहीं होगा। सीमित परिस्थितियों में एजेंसी इस शुल्क को माफ़ या कम कर सकती है।

हाँ ↓

आपके आवेदन पर 20 कार्य दिवसों के अंदर कार्यवाही हो जानी चाहिए।
(10-15 दिन और लग सकते हैं यदि एजेंसी को किसी से परामर्श करना है या अभिलेखागार से कुछ रिकार्ड्स लेने हैं।) कार्यवाही करने की फ़ीस लग सकती है- यदि कोई फ़ीस है तो आपको बताया जाएगा। एजेंसी के निर्णय के बारे में आपको लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

किसी एजेंसी के निर्णय पर पुनर्विचार

यदि आप निर्णय से नाख़ुश हैं या एजेंसी ने समय से निर्णय नहीं लिया है तो पुनर्विचार कराने का आपका अधिकार है।
आपके पास विकल्प है कि आप आंतरिक पुनर्विचार के लिए आवेदन करें और/या सूचना आयुक्त से आवेदन करें और/या एनएसडब्ल्यू नागरिक और प्रशासनिक ट्राईब्यूनल (**NSW Civil and Administrative Tribunal - NCAT**) से आवेदन करें लेकिन सूचना आयुक्त उस निर्णप पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है जिस पर **NCAT** द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है या उस पर **NCAT** द्वारा पुनर्विचार किया जा चुका है।

→ **विकल्प 1: आंतरिक पुनर्विचार के लिए अनुरोध करना:** यह तब होता है जब एजेंसी में कोई और आपके आवेदन की जाँच करता है। इसके लिए $40 लगते हैं (कोई शुल्क नहीं लगेगा यदि एजेंसी ने मूल निर्णय, समय के अंदर नहीं लिया था।

→ **विकल्प 2B: निर्णय पर सूचना आयुक्त द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए अनुरोध करें।** हमारी वेबसाइट पर इसके लिए एक फ़ॉर्म उपलब्ध है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है।

→ **विकल्प 2B: NCAT द्वारा बाह्य समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध करें।** शुल्क लगता है। कृपया वर्तमान में लागू फ़ीस के लिए NCAT वेबसाइट को देखें।

नोट: *इस तथ्य पत्र में दी गई जानकारी का प्रयोग केवल एक दिशा-निर्देश के रूप में ही किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से कानूनी सलाह ली जानी चाहिए।*